न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 199/2025 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/372**
दायर दिनांक :— 22.07.2025 | **निर्णय दिनांक :— 27.01.2026**

1. किसनाराम पुत्र अमराराम जाति भील निवासी आउ तहसील आउ जिला फलोदी
2. दूलाराम पुत्र अमराराम जाति भील निवासी आउ तहसील आउ जिला फलोदी
3. सुरजाराम पुत्र अमराराम जाति भील निवासी आउ तहसील आउ जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र महीराम जाति विश्नोई निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सुन्दरलाल पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. मगाराम पुत्र जेठाराम जाति नाई निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. हेमाराम पुत्र जेठाराम जाति नाई निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. सांगाराम पुत्र निम्बाराम जाति नाई निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. गवरी पुत्री कानाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. कालुराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. जडाव पत्नी पेमाराम जाति नायक निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. तुलछाराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. दुलाराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. ग्राम पंचायत चाखू जरिये सरपंच पंचायत समिति घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. अ.सं. 1 व 2
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की सह खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 594/5 रकबा 10.8537 हैक्टेयर ग्राम चाखू पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली की सरहद में स्थित है। उक्त भूमि पर प्राथीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी

Satya
उपखण्ड अधिकारी,
बाप (फलोदी)

अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानली के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार घंटियाली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार घंटियाली ने क्रमांक 182 दिनांक 22.01.2023 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के ओदश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 02.06.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थित में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्राथीगण संख्या 1 ता 10 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसान के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि की दिनांक 02.06.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 12 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 12 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि सरहद मौजा चाखू पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 594/5 रकबा 10.8537 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 02.06.2025 के अनुसार प्रार्थीगण की हद में प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा चाखू पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 594/5 रकबा 10.8537 हैक्टेयर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा

Satya

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 02.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि सरहद मौजा चाखू पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 594/5 रकबा 10.8537 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश मुस्तकिल बिन्दु से की जाकर की गई पैमाईश अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा चाखू पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 594/5 रकबा 10.8537 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पैमाईश फर्द अनुसार पत्थरगढी नहीं किये जाने का विरोध होने से वादग्रस्त भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा चाखू पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी खसरा नम्बर 594/5 रकबा 10.8537 हैक्टेयर भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 500/— प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण—I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)